11.09.2008

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के वेतनमान तथा पेंशन को संशोधित करते हुए दिनांक 01.09.2006 से लागू करने तथा अन्य भत्तों की संशोधित दरों को दिनांक 01.09.2008 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार भी भत्तों का भुगतान 01.09.2008 से ही कर रही है। केन्द्र की भांति राज्य कर्मचारियों हेतु 10 वर्ष 01 सितम्बर 2006 को पूर्ण होते हैं।

उक्त संशोधित वेतनमानों का लाभ 7.60 लाख राज्य कर्मचारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा 3.00 लाख पेंशनरों (कुल 10.60 लाख कर्मचारियों/ पेंशनरों) को मिलेगा।

संशोधित वेतनमान की गणना –

छठे वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु भी 5 Running Pay Bands एवं 24 Grade Pays का वर्गीकरण 1S एवं PB-1 से PB-4 के रूप में निम्न प्रकार किया गया है :–

	Running Pay Band	Grade Pay
1S	4440-7440	1300, 1400, 1650
PB-1	5200-20200	1800, 1850, 1900, 2000, 2100, 2400, 2800
PB-2	9300-34800	3200, 3600, 4200, 4800, 5400
PB-3	15600-39100	5400, 6000, 6600, 6800, 7200, 7600, 8200
PB-4	37400-67000	8700, 8900, 10000

भारत सरकार द्वारा 1S वर्गीकरण के Running Pay Band में न्यूनतम रू.4440/– को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर रू.4750/– करने का निर्णय लिया है।

नवीन ग्रेड वेतन (Grade Pay) राज्य कर्मचारियों के निवर्तमान वेतनमान के अधिकतम के 40 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की गई है। नवीन वेतनमानों में वेतन स्थिरीकरण निम्नानुसार होगा :–

1. **राज्य कर्मचारियों के लिये –**
   दिनांक 01.09.2006 का मूल वेतन X 1.86 + ग्रेड पे

2. **पेंशनर्स के लिये –**
   दिनांक 01.09.2006 का मूल पेंशन X 1.86 + 40 प्रतिशत फिटमेंट लाभ =
   मूल पेंशन X 2.26। इस प्रकार रू.100/– मूल पेंशन की जगह अब रू.226 मूल पेंशन हो जायेगी तथा इस पर महंगाई राहत प्रभावी दरों पर देय होगी।

मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता –

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया भत्ता 5 लाख अथवा अधिक आबादी वाले शहरों में 20 प्रतिशत (Running Pay Band में संशोधित वेतन + Grade Pay के योग का) तथा अन्य स्थानों पर 10 प्रतिशत (Running Pay Band में संशोधित वेतन + Grade Pay के योग का) की दर पर दिनांक 01.09.2008 से देय होगा।

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते (C.C.A.) की दरों को दो गुना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एरियर का 2 किश्तों में नकद भुगतान (प्रथम किश्त 60 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत) –

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2007 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) की अवधि के एरियर का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर दिया जावे। 01 जनवरी 2008 से 31 अगस्त 2008 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009–10 में किया जायेगा।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कर्मचरियों के एरियर का भुगतान बिना किसी कटौती के नकद में किया जावे। भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में एरियर राशि का सिर्फ 40 प्रतिशत ही भुगतान कर रही है जबकि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में एरियर राशि का 60 प्रतिशत का भुगतान करेगी।

पेंशनर्स को भी इसी आधार पर दिनांक 01.01.2007 से 31.08.2008 तक की अवधि के लिये बढ़ी हुई पेंशन की अन्तर राशि के एरियर का नकद भुगतान 2 किश्तों में किया जायेगा। पेंशनरों को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में तथा बकाया 50 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 में किया जायेगा।

जुलाई 2008 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का नकद भुगतान –

भारत सरकार ने दिनांक 29.08.2008 को केन्द्रीय कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों पर महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी किये हैं। इस प्रकार अब नवीन वेतनमानों पर दिनांक 01.07.2008 से 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय हो गया है। राज्य कर्मचारियों को भी **इस महंगाई भत्ते की पूर्ण किश्त का नकद भुगतान किया जायेगा। पेंशनर्स को भी इसी आधार पर पेंशन राहत देय होगी।**

NPA/NCA की गणना :–

वेतनमान संशोधन के कारण डॉक्टरों के Non-practising Allowance / Non-Clinical Allowance के विद्यमान आदेश में परिवर्तन कर Running Pay Band एवं Grade Pay के योग पर 20 प्रतिशत NPA / NCA स्वीकृत किया जाने का निर्णय लिया गया है।

सेवा में तीन पदौन्नति सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को Assured Career Progression (ACP) का लाभ दिया जाना –

राज्य सरकार सभी कर्मचारियों / अधिकारियों को उनके सेवाकाल में 3 पदौन्नतियों का लाभ प्रदान करने के लिये Assured Career Progression (ACP) का लाभ प्रदान करेगी। अब तक यह लाभ राज्य सेवा के राजपत्रित अधिकारियों को देय नहीं था।

वेतन विसंगतियों का निराकरण –

कतिपय सेवाओं में निम्न पद एवं पदौन्नत पद के वेतनमान समान थे। इस प्रकार की वेतन विसंगति को दूर करने के लिये पदौन्नत पद की ग्रेड पे को उच्च किया गया है अथवा दोनों पदों को समान मानते हुए मर्ज किया जाकर वेतन विसंगति को दूर करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय भार –

इस प्रकार वेतनमान / पेंशन संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार को राशि रू. 5764 करोड़ का एरियर का भुगतान करना होगा तथा राशि रू.4920 करोड़ का प्रतिवर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(रूपये करोड़ में)

	मद	बकाया भुगतान दिनांक 01.01.2007 से 31.08.2008	अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार
1.	वेतन व महंगाई भत्ता	4350.00	2610.00
2.	महंगाई भत्ते की नवीन किश्त (दिनांक 01.07.2008 से देय)	94.00 (जुलाई, अगस्त 2008)	560.00
3.	मकान किराया व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता	–	960.00
4.	पेंशन 1. पेंशनर – 2.28 लाख 2. पारिवारिक पेंशनर – 0.74 लाख कुल पेंशनर – 3.02 लाख	1320.00	790.00
	योग –	**5764.00**	**4920.00**

संशोधित वेतनमान/पेंशन के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल राशि **रू.5824 करोड़ का तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 में राशि रू.7320 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, जिसका विवरण** निम्नानुसार है :–

- **चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 –**

  (1) कर्मचारियों के संशोधित वेतन एवं महंगाई भत्ते की बकाया एरियर राशि रू.4350 करोड़ का 60 प्रतिशत (वर्ष 2007 का पूर्ण एरियर) = राशि रू.2610 करोड़

(2) दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2008) का डी0ए0 एरियर = राशि रू.94 करोड़
(3) संशोधित पेंशन की बकाया एरियर राशि रू.1320 करोड़ का 50 प्रतिशत = राशि रू.660 करोड़
(4) इसके अलावा प्रतिवर्ष के अतिरिक्त वित्तीय भार राशि रू.4920 करोड़ में से आगामी 6 माह (सितम्बर 2008 से फरवरी 2009) में 50 प्रतिशत का भार आयेगा, जो राशि रू.2460 करोड़ होती है।

- **आगामी वित्तीय वर्ष 2009–10 –**

(1) बकाया राशि रू.4350 करोड़ का 40 प्रतिशत (जनवरी 2008 से अगस्त 2008 का एरियर) = राशि रू.1740 करोड़
(2) पेंशन की बकाया राशि रू.1320 करोड़ का 50 प्रतिशत = राशि रू.660 करोड़
(3) इसके अलावा उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष राशि रू.4920 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

Up-gradation & Grievances Redressal Committee का गठन –

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की शेष सिफारिशों के परीक्षण, कर्मचारियों / कर्मचारी संघों से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों, इन आदेशों के फलस्वरूप यदि कोई वेतन विसंगति उत्पन्न हो तो ऐसे मामलों के विस्तृत परीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति अपनी रिपोर्ट चार माह की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। वेतन आयोग द्वारा कतिपय कर्मचारी वर्गों को उच्चतर Pay/ Grade Pay अनुशंषित किये गये हैं। ऐसे पद जो राज्य में हैं परन्तु केन्द्र में नहीं हैं, उनके संदर्भ में भी यह समिति परीक्षण करेगी।

संशोधित वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों को मुख्यतः निम्न लाभ होंगे –

- वेतनमान संशोधन एवं भत्तों में वृद्धि उपरान्त राज्य कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- ग्रेच्यूटी की वर्तमान अधिकतम सीमा रू.3.50 लाख को बढ़ाकर रू.10 लाख कर दिया गया है।
- मकान किराया भत्ते में संशोधन के फलस्वरूप छोटी ढाणियों, गाँवों तथा कस्बों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनको पूर्व में न्यूनतम दर 5 प्रतिशत के आधार पर मकान किराया भत्ता देय था, को बढ़े हुए वेतन के 10 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा। इस प्रकार न केवल दरों में दौगुनी वृद्धि हुई है अपितु वेतनमान संशोधित होने के कारण छोटे गाँवों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्तमान में देय मकान किराये भत्ते से तीन गुने से भी अधिक मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार बड़े शहरों में कार्यरत कर्मचारियों, जिनको पूर्व में 15 प्रतिशत के आधार पर मकान किराया भत्ता देय था, को बढ़े हुए वेतन के 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा, जो लगभग 2 गुना है।

संशोधित वेतनमान लागू होने से पेंशनर्स को मुख्यतः निम्न लाभ होंगे –

- केन्द्र सरकार के बराबर सेवानिवृति पर पेंशनरों की ग्रेच्यूटी की राशि को रू.3.5 लाख के स्थान पर रू.10.0 लाख किया गया है।
- केन्द्र सरकार के बराबर पेंशनरों की पेंशन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- नवीन वेतनमानों में किसी पेंशनर को, जिस पद से वह सेवानिवृत हुआ था, उस पद के नवीन वेतनमान के न्यूनतम + ग्रेड पे के योग की कम से कम 50 प्रतिशत राशि मूल पेंशन के रूप में देय होगी। यह लाभ दिनांक 01.04.2008 से देय होगा।
- 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को आयु के आधार पर 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- संशोधित वेतनमानों के फलस्वरूप पेंशन में वृद्धि के कारण पेंशनरों को बढ़ी हुई कम्यूटेशन राशि का लाभ मिलेगा।